

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक:—प.24 / बा.शि.फा. / आपकीबेटी / 2018—19 /

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक

विषय:—वर्ष 2025—26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित “आपकी बेटी योजना” के ऑनलाईन प्रस्ताव के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि फाउण्डेशन द्वारा संचालित “आपकी बेटी योजना” में वर्ष 2025—26 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल (BENEFICIARY SCHEME PORTAL) पर निम्नांकित तिथिनुसार भरवाये जाने हैं:—

राजकीय विद्यालयों द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना School LOGIN से LOCK करने की अन्तिम तिथि	25 नवम्बर 2025
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक द्वारा DEO OFFICE LOGIN से प्रमाणीकरण / सत्यापन करना (अन्तिम तिथि तक प्रमाणीकरण / सत्यापन न किये जाने पर डाटा स्वतः सत्यापित हो जायेगा)	30 नवम्बर 2025

उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण करवाये जाने हेतु आपके परिक्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावे, जिससे समय पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जा सके।

सलग्न : उपरोक्तानुसार प्रक्रिया एवं दिशा—निर्देश

(डॉ. अरुणा शर्मा)

सचिव

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

जयपुर

क्रमांक:—प.24 / बा.शि.फा. / आपकीबेटी / 2018—19 /

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग / माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर
3. निदेशक महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक महोदय, एन. आई. सी. शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर
5. निदेशक महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर
6. उपायुक्त महोदय (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

सचिव

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

Digitally signed by Aruna Sharma

Designation: Secretary

Date: 2025.11.12 16:14:35 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18793470

eSign 1.0



वर्ष 2025-26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित "आपकी बेटी योजना" के ऑनलाईन आवेदन भरवाये जाने के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश:-

आपकी बेटी योजना:-

योजनान्तर्गत "गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो"। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रु. एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 2500/- रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- (1) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से "विद्यार्थी" टैब में "विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र-9" में प्रदर्शित समस्त सूचनाएँ भरी जानी है।
- (2) योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन-आधार नं. प्रमाणीकरण अनिवार्य है, क्योंकि पुरस्कार राशि का अन्तरण जन-आधार में जुड़े बैंक खाते (परिवार की मुखिया या बालिका) में DBT के माध्यम से किया जायेगा।
- (2) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से "विद्यार्थी" टैब में "लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की "BPL" एवं "ORPHAN/SINGAL PARENT" श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है।
- (3) "BENEFICIARY SCHEME PORTAL" पर विद्यालय LOGIN में SCHEME का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को APPROVE AND LOCK किया जाना है।
- (4) SCHOOL LOGIN से LOCKED सूचनाएँ DEO OFFICE LOGIN (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के "BENEFICIARY SCHEME PORTAL" पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से FINAL SUBMIT किया जाना है।

Signature valid

Digitally signed by Aruna Sharma
Designation: Secretary
Date: 2025.11.12 16:14:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18793470

eSign 1.0